

फ़िल्म व टेलीवज़िन उद्योग में श्रम नयिमाँ का उल्लंघन

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने फ़िल्म और टेलीवज़िन उद्योग में हो रहे बाल श्रम नयिमाँ के उल्लंघन पर चर्चा ज़ाहिर की है।

मुख्य बदि:

- हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को एक पत्र लिखा, जिसमें बाल तथा कशोर श्रम (रोकथाम और नयिमान) कानून, 1986 के उल्लंघन की बात कही गई।
- मंत्रालय द्वारा यह मांग की गई थी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस उद्योग में बाल श्रम नयिमाँ का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- श्रम मंत्रालय से जुड़े एक अधिकारी के अनुसार, जल्द ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस संदर्भ में सभी नरिमाताओं एवं प्रसारकों को एक सूचना जारी करेगा।
- बाल एवं कशोर श्रम (रोकथाम और वनियिमान) संशोधन अधिनियम, 2017 के अनुसार, बाल कलाकारों से एक दिन में 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है। इसके अतरिकित सभी बाल कलाकारों से बनिा ब्रेक लयि लगातार 3 घंटे से अधिक कार्य नहीं करवाया जा सकता है।
- इस संदर्भ में अन्य प्रावधान:
 - नयिम के अनुसार, कसिी भी बाल कलाकार से कार्य कराने के लयि ज़लिाधिकारी (डसिटरकिट मजसिटरेट) की अनुमत आवश्यक है।
 - बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लयि एक व्यकर्ता (अधिकतम पाँच बच्चों पर) की तैनाती भी आवश्यक है।
 - कोई भी बाल कलाकार कार्य करने के लयि 27 दिनों से अधिक स्कूल से छुट्टी नहीं ले सकता है।
 - इसके अतरिकित नयिमानुसार, सभी बच्चों की कुल आय का 20 परतशित हसिसा सावधजिमा के रूप में रखा जाना आवश्यक है।
- यदकि कोई भी बच्चा फ़िल्म में शामिल होता है तो फ़िल्म नरिमाताओं के लयि यह सूचना प्रसारति करना आवश्यक है कि 'फ़िल्म में यह सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास किया गया है कि बच्चों के साथ कसिी भी प्रकार का दुरव्यवहार तथा शोषण न हो'।

नषिकर्ष:

फ़िल्म और टेलीवज़िन उद्योग में हो रहा नयिमाँ का उल्लंघन प्रशासन के समकष काफी चर्ताजनक वषिय है और इस पर ध्यान दयिा जाना भी आवश्यक है। हमें न केवल इस संदर्भ में नए और सख्त नयिमाँ का नरिमाण करना होगा बल्कयिह भी सुनिश्चित करना होगा कि पूर्व में नरिमति नयिमाँ का सख्ती से पालन हो।

स्रोत: द हदि